

भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	रिलायंस जियो इनफोकॉम लिमिटेड, भोपाल द्वारा आवेदित प्रकरण (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/OFC/36742/2018) में दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट के परिक्षेत्र हट्टा, बीट परसवाड़ा के वनकक्ष क्रमांक 687 से गुजर रहे गोंगलई-देवगांव मार्ग के किनारे-किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु आवेदित वनक्षेत्र 0.022 हेक्टेयर के संबंध में वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रभावित वनक्षेत्र में कोई वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे के आधार पर प्रकरण में अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 10/05/2022

स्थान : बालाघाट

(नरेन्द्र कुमार सनोडिया)

भा.व.से.

मुख्य वनसंरक्षक

बालाघाट वनवृत्त म.प्र.